बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक– 19.05.14

संख्या– 1/स्थाप–5003/2005......386........../भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ''बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2008 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–**
   (1) यह नियमावली **''बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2014''** कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।
2. उक्त नियमावली 2008 का नियम 6 का उप नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
   ''(1) निम्नवर्गीय लिपिक में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।''
3. उक्त नियमावली, 2009 में निम्नलिखित नये नियम 13क एवं 13ख क्रमशः नियम 13 के बाद अंतरस्थापित किये जाएंगे:–
   13क इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिए राज्य सरकार के प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।
   13ख ''संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के लिए उनके द्वारा बितायी गयी अवधि का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गये दिशा–निदेशों के अनुसार अधिमान (वेटेज), दिया जायेगा।

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/स्थाप–5003/2005 – 386 पटना–15, दिनांक– 19.05.14

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1/स्थाप–5003/2005 – 386 पटना–15, दिनांक– 19.05.14

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

Manoj Sir-p106

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक– 19.05.14

संख्या– 1/स्थाप–5003/2005–386/अधिसूचना संख्या ..... दिनांक– 19.05.14 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19.5.14

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

Government of Bihar
Labour Resource Department
NOTIFICATION

Patna-15,dt.- 19.05.14

N0. 1/Esst-5003/2005–386...../In exercise of Power conferred under proviso to Article-309 of the constitution of India, The Governor of Bihar is pleased to make the following amendment Rules to amend the Bihar Employment Clerical Cadre Rules, 2008.

1. Short title, extent and commencement.-

1. The Rules may be called as the Bihar Employment Clerical Cadre (Amendment)Rules-2014
2. It shall extend to whole of the State of Bihar
3. It shall come into force with immediate effect.

2. Sub rule (1) of Rule 6 of the said Rules 2008 shall be substituted by the following:-

"(1) For appointment in the Lower Divisional Clerk, the minimum educational qualification shall be Intermediate (10+2) pass or equivalent with knowledge of computer operation and computer typing."

3. The following new Rule 13A and 13B shall be inserted respectively after Rule 13 of the said Rules, 2008:-

13A Subjects for which provisions could not be made in these rules, the provisions of relevant codes/rules//resolution/instructions of the state government shall be applicable to them.

13B "For those employees working on contract basis, the period spent by them shall be given due weightage in accordance with the guidelines given by the General Administration Department."

19.5.14

(Deo Nandan Yadav)
Joint Secereatary
Labour Resource Department
Bihar, Patna.

ज्ञापांक–1/स्थाप–5003/2005 –386 पटना–15, दिनांक– 19.05.14

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19.5.14

(देव नन्दन यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)

" अधिसूचना "

पटना-15, दिनांक-

संख्या-1/स्था0-5003/2005...../ भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल श्रम संसाधन विभाग के नियोजन पक्ष के लिपिकों की भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ** - (1) यह नियमावली " बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2008 " कही जा सकेगी ।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. **परिभाषाएँ** ।- इस नियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

   (क) " नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि ;

   (ख) " संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार नियोजन लिपिकीय संवर्ग ;

   (ग) " कोटि" से अभिप्रेत है, नियत-3 में विनिर्दिष्ट कोटि ;

   (घ) " सीधी भर्त्ती से नियुक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्ति ;

   (ड) " संलग्न कार्यालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे कार्यालय ;

   (च) " नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार ;

   (छ) " परिवीक्षाधीन" से अभिप्रेत है निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में परिवीक्षाधीन रूप से नियुक्त व्यक्ति ।

   (ज) " सामान्य वरीयता सूची" से अभिप्रेत है, नियत तिथि की स्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी जाने वाली विनियमवली के अनुसार समय-समय पर पुनरीक्षित, संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सूची, जिसका संधारण निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना करेगा ; तथा

   (झ) " आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ।

3. **संवर्ग** । - यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा । इस संवर्ग में निम्नांकित कोटियों के पद होगें- निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक ।

4. **सेवा का अधिकृत बल** ।- सेवा के अधिकृत बल का आवश्यतानुसार समय-समय पर पुनर्निधारण श्रम संसाधन विभाग से परामर्श कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग / वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा ।

   परन्तु यह कि नियत तिथि को लिपिकों के स्वीकृत बल का 50 प्रतिशत निम्नवर्गीय लिपिक का कोटि का और 50 प्रतिशत पद उच्चवर्गीय लिपिक एवं अन्य उच्चतर कोटि के पद में समझा जायेगा । अतिरिक्त विषम संख्या वाले पद निम्नवर्गीय लिपिक को कोटि में समझे जायेंगे । लेकिन उच्चवर्गीय लिपिक का कार्यरत बल यदि 50 प्रतिशत से अधिक हो तो कार्यरत उच्चवर्गीय लिपिक की सेवानिवृत्ति या प्रोन्नति होने तक ऐसा पद उच्चवर्गीय लिपिक का समझा जायेगा । उच्चवर्गीय लिपिक का पद बल जब तक 50 प्रतिशत से कम नहीं जो जाता है तब तक उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति नहीं दी जायेगी ।